



2026:AHC:39128

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4875/2026

घनश्याम एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक कुमार विश्वकर्मा, मंता राम गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज्ञाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास एक वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जिसके तहत वह उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
3. इस चरण पर, याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आधार पर, वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।
4. इसी के मद्देनजर, वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

20 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"